

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यू

अनुवान जयपाल बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 598/2025

निर्णय दिनांक 19/12/25

जयपाल पुत्र अर्जन राम जाति जाट निवासी सात्यू तहसील चूरु जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

--:निर्णय:--


प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यू में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 161 के खसरा सं. 664 तादादी 13.3152 है0, खसरा सं. 724 तादादी 10.0528 है0 रोही ग्राम सात्यू तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम जयलाल पुत्र अर्जनराम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम जयपाल पुत्र अर्जन राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम जयलाल पुत्र अर्जनराम के स्थान पर जयपाल पुत्र अर्जन राम किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः खाता संख्या 161 के खसरा सं. 664 तादादी 13.3152 है0, खसरा सं. 724 तादादी 10.0528 है0 रोही ग्राम सात्यू तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम जयलाल पुत्र अर्जनराम Delete कर इसके स्थान पर जयपाल पुत्र अर्जन राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यू में लिखाया

जाकर सुनाया गया।


राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)